

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,
चंचल कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।
सेवा में,
सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक31.01.2022

विषय-संविदा पर नियोजित कर्मियों का सेवा अभिलेख संधारण के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-12534 दिनांक-17.09.2018 एवं संकल्प ज्ञापांक-1003 दिनांक-22.01.2021 द्वारा संविदा पर नियोजन की प्रक्रिया एवं सेवा संबंधी प्रावधान निरूपित है।

2. संकल्प ज्ञापांक-12534 दिनांक-17.09.2018 के परिशिष्ट-'क' के क्रमांक-5 एवं संकल्प ज्ञापांक-1003 दिनांक-22.01.2021 की कंडिका-4(3)(IV) में संविदा पर नियोजित कर्मियों का सेवा अभिलेख के संधारण का प्रावधान है। प्रावधान के आलोक में सेवा अभिलेख के स्वरूप का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से किया जाना है तथा सेवा अभिलेख का संधारण संबंधित प्रशासी विभाग/कार्यालय द्वारा किया जाना है। तदनुसार संबंधित प्रशासी विभाग/कार्यालय में कार्यरत संविदा पर नियोजित कर्मियों के सेवा अभिलेख का संधारण हेतु निर्धारित विहित प्रपत्र संलग्न है।

3. अतः अनुरोध है कि आपके नियंत्रणाधीन संविदा नियोजित कर्मियों के सेवा अभिलेख का संधारण संलग्न विहित प्रपत्र में किया जाय। साथ ही अपने अधीनस्थों को भी उक्त से अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया जाय।

अनु०:- सेवा अभिलेख प्रपत्र।

विश्वामाजन,

(चंचल कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा अभिलेख

संविदा कर्मी का नाम:—

नियोजित पद का नाम:—

सेवा अभिलेख

संविदा नियोजित कर्मी के अंगूठे और अंगुलियों का छाप
अंगूठा
तर्जनी
मध्यमा
अनामिका
कनिष्ठा

